// कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ(म०प्र०) //

क्रमांक / 964 /2024 झाबुआ, दिनांक 10/05/2024

—:: विज्ञप्ति ::—

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता हैं कि जिला न्यायालय परिसर झाबुआ में पार्किंग स्टेण्ड का संचालन किया जाना हैं।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति जिला न्यायालय भवन परिसर, झाबुआ में पार्किंग स्टेण्ड का संचालन करना चाहता है, वे कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ में कार्यदिवस के दौरान निविदाओं की आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर शर्तों के अनुसार सीलबंद निविदा अंतिम तिथि दिनांक **31/05/2024** को सांय 5:00 बजे तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के कार्यालय में प्रेषित करें। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदा दिनांक **01/06/2024** को सांय 5:00 बजे खोली जावेगी। व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत निविदा ग्राहृय नहीं की जावेगी।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक वेबसाईट **www.mphc.gov.in** एवं कार्यालयीन वेबसाईट **districts.ecourts.gov.in/jhabua** पर भी देखा जा सकता हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला–झाबुआ(म.प्र.)

E:\Samati Prativedan 2024.doc

// कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ (म0प्र0) //

जिला न्यायालय भवन परिसर, झाबुआ में वाहन स्टेण्ड संचालन करने हेतु निविदा प्रलेख

जिला न्यायालय भवन परिसर, झाबुआ में 01 वर्ष की अवधि के लिये वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु इच्छुक आवेदकों से निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक **31/05/2024** निर्धारित की गई है । प्राप्त समस्त निविदायें दिनांक **01/06/2024** को खोली जावेगी ।

<u>वाहन स्टेण्ड संचालन करने संबंधी विस्तृत विवरण एवं शर्तें निम्नानुसार है:–</u>

<u>विवरण एवं शर्तें</u>

1. वाहन स्टेण्ड हेतु बतोर सुरक्षा निधि निर्धारित राशि रू. 10,000/– की एफ.डी.आर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ के नाम से 01 वर्ष की अवधि के लिये आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । जो निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत निविदाकर्ता को वापस की जावेगी ।
2. वाहन स्टेण्ड हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि की न्यूनतम दर रू. 5,000/– प्रतिमाह होगी । जिस निविदाकर्ता द्वारा Bid में अधिकतम मासिक प्रीमियम शुल्क निविदा में अंकित किया जावेगा उसकी निविदा स्वीकृत की जावेगी ।
3. निविदा फार्म के साथ रू. 5,000/– का बैंक ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के नाम से जमा करनी होगी, जो कि निविदा स्वीकृत न होने की दशा में वापसी योग्य होगी । निविदा स्वीकृति उपरांत टेंडर की शर्तो के अनुसार अनुबंध–पत्र (ठेका कार्य) निष्पादित न करने की दशा में अर्नेस्ट मनी बिना सूचना के जब्त कर ली जाएगी तथा नए टेण्डर प्रकिया का खर्च व क्षति राशि वसूली की जाएगी ।
4. वाहन स्टेण्ड संचालन की अनुज्ञा 01 वर्ष के लिये दी जाएगी और प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुए निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा । जिसकी सूचना जिला न्यायालय के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी । समिति का निर्णय निविदाकर्ता को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी ।
5. वाहन स्टेण्ड के संचालन का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार कराना आवश्यक होगा ।

6. मासिक प्रीमियम राशि लगातार तीन माह तक जमा न किये जाने की दशा में तथा निर्धारित पार्किंग शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने की दशा में सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर ठेका तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा ।

7. वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे कि शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हो अथवा निविदा की शर्त का उल्लंघन हो ।

8. वाहन स्टेण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में प्रातः 10:00 से सांय 06:30 बजे तक किया जावेगा । साथ ही समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही किया जाएगा ।

9. वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का निर्माण/संरचना नहीं करेंगे ।

10. वाहन स्टेण्ड संचालन में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो ।

11. वाहन स्टेण्ड हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी कार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे ।

12. वाहन स्टेण्ड हेतु आवंटित स्थान को सफल निविदाकर्ता स्वयं संचालित करेगा, किसी अन्य को आवंटित नहीं करेगा । वाहन हेतु आवंटित स्थान पर वाहन सुव्यवस्थित रूप से रखेंगे, ताकि पक्षकारों एवं वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो ।

13. साईकिल/स्कूटर/दो पहिया/चार पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा :–

1.	सायकिल	–	रू. 5/– प्रतिदिन
2.	दो पहिया वाहन	–	रू. 10/– प्रतिदिन
3.	चार पहिया वाहन	–	रू. 25/– प्रतिदिन

14. वाहन के चोरी चले जाने या नष्ट कर दिये जाने की दशा में ठेकेदार उत्तरदायी होगा ।

15. निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग शुल्क सूची (कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त) आम जनता को पढ़ने हेतु लगाई जावेगी एवं निर्धारित दर पर ही आम जनता से पार्किंग शुल्क लिया जावे । अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

16. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत टेण्डर अवधि के दौरान बीच में ही कार्य बंद करने या छोड़ने की दशा में सम्पूर्ण सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर ली जाएगी।

17. वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कम से कम 02 कर्मचारी संचालक नियोजित करना होगा। नियोजित कर्मचारियों की सूची प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित कराई जावेगी। कर्मचारियों को संचालक प्रमाण–पत्र जारी करेगा, जो कर्मचारी द्वारा पार्किंग स्टेण्ड संचालन अवधि में धारित किये रहेंगे। नियोजित कर्मचारी किसी प्रकार का नशा न करते हों, यह निविदाकर्ता द्वारा सुनिश्चित् किया जावेगा।

18. वाहन स्टेण्ड संचालन की अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी नई अनुज्ञा प्रदान किये जाने की कार्यवाही तक अधिकतम 03 माह तक उसी प्रीमियम राशि पर वर्तमान वाहन स्टेण्ड संचालक को वाहन स्टेण्ड का संचालन करना होगा ।

19. निविदा अवधि 01 वर्ष की होगी । निविदाकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाये जाने की दशा में निविदाकर्ता के आवेदन पर समिति द्वारा संविदा की अवधि उसी दर पर या नवीनीकृत बढ़ी हुई दर पर 01 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी ।

20. निविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा बिना किसी सूचना के निविदा/अनुबंध समाप्त किये जाने का अधिकार होगा ।

21. वाहन स्टेण्ड के संचालन हेतु निविदा फार्म रू. 500/– का बैंक ड्राफ्ट निविदा के संबंध में प्रस्तुत करना होगा, जो दिनांक 31/05/2024 को सांय 05:00 बजे तक पूर्ण रूप से भरकर अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट के साथ जमा करना होगा । प्राप्त सभी निविदायें दिनांक 01/06/2024 को सांय 05:00 बजे नजारत अनुभाग झाबुआ में निविदाकर्तागण/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी ओर निविदा में बताई गई दरें बोली जाएगी ।

22. जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जाएगी उसे 03 दिन के अंदर निविदा की शर्तों की पूर्ति करते हुए रूपये 500/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध–पत्र

निष्पादित करना होगा । साथ ही अनुमति दिये जाने के उपरांत 15 दिवस में कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा उनकी सुरक्षानिधि जप्त कर ली जावेगी।

23. सफल निविदाकर्ता को वाहन स्टेण्ड हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान निविदा प्रारंभ होते ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के हक में 01 माह को प्रीमियम राशि तत्काल प्रस्तुत करनी होगी । आगामी निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान प्रत्येक त्रैमास में 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जमा करनी होगी । निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में लाईसेंस फीस की राशि जमा न करने की स्थिति में अनुबंध समाप्त कर पार्किंग स्टेण्ड का कब्जा बिना किसी सूचना के प्राप्त कर लिया जावेगा ।

24. निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय प्रारूप–ए पर निविदा की दरें उल्लेखित की जावेगी । साथ ही उक्त दर पर ट्रांसपरेंट टेप चस्पा किया जाना होगा ।

25. ठेका कार्य के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा । समिति के निर्णय के विरूद्ध किसी आपत्ति का अंतिम निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ द्वारा किया जावेगी तथा उनका निर्णय अंतिम व सभी पक्षों पर बंधनकारी रहेगा ।

26. प्रधान जिला न्यायाधीश झाबुआ को यह अधिकार होगा कि स्टेण्ड संचालन हेतु दिया गया लायसेंस किसी भी समय बिना कारण बताये, बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दें और उस दशा में ऐसे आवंटितों को प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट अवधि में वाहन स्टेण्ड का संचालन अविलम्ब बंद करना होगा अन्यथा प्रधान जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वाहन स्टेण्ड संचालन को बंद कराकर आवंटित स्थान रिक्त करा लें । इस संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम और आबद्धकारी होगा ।

27. न्यायालयीन कर्मचारियों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा परिचय–पत्र प्रदान किया जायेगा तथा उनके द्वारा परिचय–पत्र दिखाये जाने पर उनसे पार्किंग शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

28. अधिवक्तागण को अभिभाषक संघ, झाबुआ द्वारा परिचय पत्र प्रदान किया जावेगा। अधिवक्तागण द्वारा परिचय पत्र दिखाये जाने पर उनसे पार्किंग शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

29. निर्धारित समयावधि के उपरांत निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

30. निविदाकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति में निर्धारित दरों से अधिक वाहन पार्किंग शुल्क नहीं लिया जावेगा । आमजन को वाहन पार्किंग किये जाने के संबंध में प्रिंटेड रसीद प्रदान

करना होगी जिस पर वाहन पार्किंग का शुल्क एवं वाहन कमांक अंकित करना आवश्यक होगा ।

31. निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध की शर्त का उल्लंघन करने पर उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षानिधि जप्त कर ली जावेगी अथवा उसमें पेनल्टी स्वरूप युक्तियुक्त रकम काटी जावेगी ।

32. निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्टेण्ड में आने व जाने वाले वाहनों का रेकार्ड रखने हेतु पृथक से रजिस्टर संधारित किया जायेगा । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी/प्रमुख द्वारा उक्त रजिस्टर का निरीक्षण किये जाने पर निविदाकर्ता द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा ।

33. नगरपालिका झाबुआ अथवा अन्य कर जो पार्किंग स्टेण्ड संचालन हेतु दिया जाना है, का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जावेगा ।

मध्यस्थता :-

निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार कर्मचारियों के कार्य की गुणवत्ता अथवा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, दावा, अधिकार, बात या बात के रूप में किसी भी तरह से अनुबंध, अनुमान, निर्देश, आदेश या इस शर्तों अथवा कार्य निष्पादन की विफलता में होने वाले सभी बिन्दुओं, विवादों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला-झाबुआ (म.प्र.)